www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-10* *October 2025***

डिजिटल गवर्नेंस और भारत में लोक प्रशासन की बदलती प्रकृतिः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

पंकज कुमार

यूजीसी (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा), एम.ए. (लोक प्रशासन), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सारांश– भारत में डिजिटल गवर्नेंस ने लोक प्रशासन की प्रकृति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे की तुलना में डिजिटल प्रणाली ने सेवाओं के वितरण को अधिक सरल, त्वरित और नागरिक–केंद्रित बनाया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा सरकारी सेवाओं तक पहुँच अधिक व्यापक और समावेशी बनी है। डिजिटल गवर्नेंस के विकास में ई–गवर्नेंस 1.0 से लेकर 2.0 तक की यात्रा महत्वपूर्ण रही है, जिसमें सेवाओं का केंद्रीकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार और डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रिया का विकास शामिल है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक संगठित और प्रभावी बनी है। साथ ही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा नीति ने शासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इस परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे सूचना सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और डिजिटल विभाजन। इन समस्याओं के समाधान के लिए मजबूत नीति–निर्माण, नैतिक मानकों का पालन और तकनीकी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। अंततः, डिजिटल गवर्नेंस ने भारतीय लोक प्रशासन को अधिक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि उचित रणनीतियों और संतुलित नीतियों के साथ इसका विकास जारी रखा जाए, तो यह भविष्य में सुशासन और सतत विकास का सशक्त आधार बन सकता है।

मुख्य शब्द– डिजिटल गवर्नेंस, लोक प्रशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई–गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा, नागरिक सहभागिता ।

1. प्रस्तावना

भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास और उसका लोक प्रशासन के ढांचे पर प्रभाव स्पष्ट रूप से उभरा है। यह खंड विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रयोग से सरकारी कार्यों की बदलती प्रकृति प्रभावित हो रही है। तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नए आयाम दिए हैं, जिनके फलस्वरूप पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज तथा प्रशासनिक तंत्र दोनों में डिजिटल परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। डिजिटल गवर्नेंस का परिचय देते हुए इसकी परिभाषा एवं सिद्धांत भी स्पष्ट किए जाते हैं, जिससे इसकी व्यापक धारणा समझने में सहायता मिलती है। साथ ही, इस परिवर्तन के पीछे की प्रवृत्तियों और कारणों का उल्लेख भी किया गया है। भारत में इस दिशा में लगातार हो रहे प्रयास और योजनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे तकनीकी प्रगति ने सेवा पहुँचाने के तरीकों को बदल दिया है। यह बदलाव न सिर्फ़ कार्यकुशलता को बढ़ाता है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी और प्रशासन के आत्मिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि डिजिटल परिवर्तन ने शासन में समावेशन, न्यूनतम भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था

की जवाबदेही को सुदृढ़ किया है। हालांकि, इन बदलावों के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे सूचना सुरक्षा, निजता के सवाल और डिजिटल विभाजन का मुद्दा, जिन पर सतत ध्यान देना आवश्यक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नई तकनीकों का प्रभाव न केवल कार्यप्रणाली बदल रहा है, बल्कि यह सत्ता–संबंधों, नवाचारी नीतियों और लोक प्रशासन के मूल्य–मानदंडों को भी पुनः परिभाषित कर रहा है। डिजिटल गवर्नेंस न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का ही परिवर्तन है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, नागरिक अधिकारों एवं जवाबदेही के स्तर पर भी नए मानकों की स्थापना कर रहा है। इस बदलाव का सम्पूर्ण अध्ययन इसी संदर्भ में जरूरी है कि कैसे तकनीकों का उचित एवं सतत प्रयोग सुनिश्चित कर विश्वसनीय, समावेशी और सुगम प्रशासन व्यवस्था का निर्माण हो सके।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारत में डिजिटल गवर्नेंस के विकास और उसके परिणामस्वरूप लोक प्रशासन की बदलती प्रकृति का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा वितरण प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित किया है। विशेष रूप से, यह शोध डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन में आई पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है। इसके साथ ही, नागरिक सहभागिता में वृद्धि, सेवाओं की सुलभता तथा शासन की नागरिक–केंद्रित प्रवृत्ति के विकास का भी विश्लेषण किया गया है।अध्ययन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में ई–गवर्नेंस 1.0 से लेकर 2.0 तक की विकास यात्रा का परीक्षण करना है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि किस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा–आधारित नीति–निर्माण तथा प्रशासनिक केंद्रीकरण ने शासन की प्रकृति को परिवर्तित किया है। इसके अतिरिक्त, यह शोध डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा नीति, सूचना सुरक्षा तथा निजता से संबंधित उभरती चुनौतियों का भी विश्लेषण करता है। समग्र रूप से, यह अध्ययन वर्तमान परिदृश्य का मूल्यांकन करने के साथ–साथ भविष्य में प्रभावी, पारदर्शी एवं समावेशी प्रशासन हेतु नीतिगत सुझाव प्रदान करने का प्रयास करता है।

3. शोध पद्धति

इस शोध–पत्र में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस और लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें पुस्तकों, शोध–पत्रों, जर्नल लेखों, सरकारी रिपोर्टों तथा विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का समावेश किया गया है। उपलब्ध साहित्य का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिससे विषय की व्यापक एवं संतुलित समझ विकसित हो सके।

इस शोध में गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक, सामाजिक एवं तकनीकी पहलुओं का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। साथ ही, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए भारत में डिजिटल गवर्नेंस के क्रमिक विकास को समझने का प्रयास किया गया है, जिससे वर्तमान स्थिति की जड़ों और उसके प्रभावों का स्पष्ट आकलन किया जा सके। विभिन्न आयामोंकृजैसे पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता एवं डेटा सुरक्षाकृके अंतर्संबंधों का समग्र विश्लेषण कर यह अध्ययन डिजिटल परिवर्तन की व्यापकता और प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इस प्रकार, अपनाई गई शोध पद्धति विषय की गहराई, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है।

4. डिजिटल गवर्नेंस का परिचयरू सिद्धान्त और परिभाषा

डिजिटल गवर्नेंस का परिचय प्रदान करते हुए इसके मूल सिद्धांत एवं परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अवधारणा विविध दृष्टिकोणों एवं सिद्धांतों का संयोजन है, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई–स्वीकृति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल गवर्नेंस का तात्पर्य सरकार की संचालन प्रक्रिया, सेवाओं एवं निर्णय लेने में तकनीकी नवाचारों का समावेश है, जिससे सरकारी तंत्र अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बन सके। इसकी परिभाषा में यह शामिल होता है कि डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर शासन की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, स्वचालन एवं समावेशन करना, ताकि

सेवाओं की पहुंच सुगम एवं दक्षता में वृध्दि हो। यह रणनीति न केवल प्रशासनिक कार्यान्वयन में सुधार लाती है, बल्कि नागरिकों एवं संबंधित हितधारकों के बीच पारस्परिक संवाद एवं सहभागिता को भी प्रोत्साहित करती है। डिजिटल गवर्नेंस को एक सतत प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें नवाचार, नैतिक मानकों, डेटा सुरक्षा और सूचना गोपनीयता जैसे तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके तहत सरकारें विभिन्न तकनीकी प्लेटफार्मों का प्रयोग कर सेवाओं का केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, एवं संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करती हैं। इससे न केवल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि विशिष्ट जन सहभागिता एवं स्वच्छ शासन की अवधारणा भी सशक्त होती है। अतः, डिजिटल गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य शासन प्रणाली को अधिक सक्षम, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाना है, जिससे तकनीकी साधनों के माध्यम से न्यायसंगत, पारदर्शी एवं कुशल लोक प्रशासन का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

5. भारत में डिजिटल गवर्नेंस के प्रवर्तन की यात्रा

भारत में डिजिटल गवर्नेंस के प्रवर्तन की यात्रा का आरंभ वर्षों पूर्व हुई शुरुआत से माना जा सकता है, जब प्रशासनिक प्रक्रिया की सुगमता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणालियों की स्थापना की गई। प्रथम चरण में, शासन की प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करते हुए ई–गवर्नेंस 1.0 का आधार विकसित किया गया, जिसमें मुख्य रुप से सरकारी सूचनाओं का डिजिटलीकरण और सरल पहुंच सुनिश्चित की गई। इस दौर में सरकार ने अपने संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए, सेवाओं की आपूर्ति को डिजिटलीकृत किया, जिससे लेनदेन एवं सेवाओं में त्वरितता आई।

आगे के चरण में, ई–गवर्नेंस 2.0 के दौर में केंद्र तथा राज्य स्तर पर डिजिटल सेवाओं का व्यापक एकीकरण और केंद्रीकरण देखने को मिला। इस अवधि में सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे नागरिकों का अनुभव अधिक संतुलित और उत्तरदायी बन सका। इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में डिजिटल अवसंरचना और डेटा नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके परिणामस्वरूप डेटा के संग्रहण, प्रबंधन और मानकीकरण के साथ–साथ उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय डेटा नीति और साइबर सुरक्षा मानकों को शामिल किया गया, जिससे सूचना सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाने लगा।

इस संक्रमण काल में, डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी क्षमताओं का भी तेजी से विकास हुआ, जिससे अधिक व्यापक एवं समावेशी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध करायी जा सकीं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना था, बल्कि नागरिक सहभागिता एवं जवाबदेही को भी मजबूत करना था। इस प्रवर्तन की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रौद्योगिकी एवं नीति संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों ने भारत में लोक प्रशासन की बदलती प्रकृति को नई दिशा दी है, जिसकी परिणति अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं सहभागी शासन प्रणाली के रूप में हुई है।

5.1. प्रशासनिक सूचना तंत्र और ई–गवर्नेंस 1.0

प्रशासनिक सूचना तंत्र एवं ई–गवर्नेंस 1.0 भारतीय शासन व्यवस्था में डिजिटल युग की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण रहा है। इस युग में, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के कुशल संचालन हेतु प्राथमिक साधन के रूप में स्थापित किया गया। यह चरण मुख्यतः सरकारी कार्यालयों के भीतर कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित बनाने, दस्तावेज़ प्रबंधन, और सेवाओं की आधारभूत डिजिटलीकरण तक सीमित था। इस युग में, सरकार की ऑनलाइन सेवाएँ प्रारंभिक रूप से विकसित हुईं, जिनमें विभागीय वेबसाइटें, ई–मेल संचार और डिजिटल सूचना प्रकाशन सम्मिलित थे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना था, जिससे नागरिकों को सरलता और त्वरितता का लाभ मिल सके।

हालांकि, यह प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में थी, जहाँ पारस्परिक संवाद सीमित था, स्वचालन का स्तर कम था तथा नागरिकों की भागीदारी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाई थी। उस समय इन कार्यक्रमों की पहुँच भी सीमित थी और डिजिटल साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत निम्न था। इसके परिणामस्वरूप, ई–गवर्नेंस 1.0 का प्रभाव व्यापक नहीं हो सका और यह मुख्यतः प्रशासनिक तंत्र के आंतरिक कार्यों तक ही केंद्रित रहा। इसके बावजूद, इस चरण में डिजिटल साधनों का आरंभिक उपयोग हुआ, जिसने आगे चलकर अधिक विकसित और केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्थाओं के निर्माण की आधारशिला रखी। इस प्रकार, प्रशासनिक सूचना तंत्र ने भारत में

डिजिटल शासन के विकास की नींव तैयार की, जिसने आगे ई–गवर्नेंस 2.0 जैसे उन्नत प्रयासों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

5.2. ई–गवर्नेंस 2.0 से ई–सेवाओं के केंद्रीयकरण

ई–गवर्नेंस 2.0 के तहत सेवाओं के केंद्रीयकरण की प्रक्रिया ने सरकारी कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर लाने का लक्ष्य है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों को सुविधाजनक, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्राप्त हो सके। इस नवीनीकरण का आधार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों का प्रभावी एवं समन्वित उपयोग है, जो विभिन्न सेवाओं के केंद्रीकृत प्रबंधन और प्रसारण में सहायता प्रदान करता है।

सेवाओं का केंद्रीकरण, तकनीकी विकास तथा स्वचालित प्रणालियों के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे न केवल सेवा वितरण की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, बल्कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही जैसी समस्याओं में भी कमी आती है। इस संदर्भ में, सरकारी डैशबोर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल तथा अन्य डिजिटल माध्यमों का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ त्वरित और सुगम रूप से उपलब्ध हो सकें।

बिहार राज्य में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, विशेष रूप से Right to Public Service (RTPS) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से। इस पहल के अंतर्गत RTPS पोर्टल तथा विभिन्न लोक सेवा केंद्रों (Common Service Centres) के जरिए नागरिकों को आवश्यक सेवाएँ– जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि– ऑनलाइन एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सेवा वितरण को पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध बनाना है, जिसके लिए प्रत्येक सेवा के लिए एक निश्चित समय–सीमा निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित समय में सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जाते हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा ने नागरिकों को अधिक सशक्त बनाया है तथा उन्हें बार–बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता में कमी आई है।

त्ज्वै प्रणाली के साथ–साथ डिजिटल प्लेटफार्मों के विस्तार ने ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में भी सेवाओं की पहुँच को बढ़ाया है। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएँ उन नागरिकों तक भी पहुँची हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, जिससे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिला है। इस पहल के परिणामस्वरूप सेवा वितरण में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही में कमी देखी गई है तथा प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास सुदृढ़ हुआ है। अतः, बिहार में त्ज्वै आधारित डिजिटल गवर्नेंस मॉडल यह दर्शाता है कि किस प्रकार तकनीकी साधनों के प्रभावी उपयोग से प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और नागरिक संतुष्टि को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सकता है।

हालांकि, इसके कार्यान्वयन के दौरान अनेक प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं, जिनमें तकनीकी अवसंरचना का सुदृढ़ विकास, प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण तथा विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच समन्वय स्थापित करना प्रमुख हैं। इसके बावजूद, केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं कि सेवाओं के केंद्रीकरण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही और कार्यकुशलता को सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रकार का एकीकृत तंत्र न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक सशक्त बनाता है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और उनकी संतुष्टि को भी सुनिश्चित करता है।

5.3. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा नीति

डिजिटल अवसंरचना और डेटा नीति के क्षेत्र में भारत ने ऐसे अनेक प्रयास किए हैं, जिनका उद्देश्य एक सुगम, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इस दिशा में सुदृढ़ डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास तथा प्रभावी डेटा नीतियों का निर्माण विशेष रूप से प्राथमिकता में रहा है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का सशक्त तंत्र एक स्वच्छ, कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है, जिसके अंतर्गत उन्नत नेटवर्क व्यवस्था, विभिन्न स्तरों पर डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता तथा

मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र का विकास अत्यंत आवश्यक माना गया है। भारत सरकार ने डेटा नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए निजता, सुरक्षा और डेटा संरक्षण से संबंधित मानकों को विशेष महत्व दिया है। साथ ही, खुले डेटा (Open Data) की अवधारणा को बढ़ावा देते हुए सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित किया गया है, जिससे नागरिकों, उद्यमियों तथा शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने में सहायता मिली है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी क्षेत्र से संबंधित, ने डेटा के प्रसंस्करण, संग्रहण और आदान–प्रदान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और मानक विकसित किए हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि साइबर खतरों और निजता से जुड़ी संभावित हानियों से प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी संदर्भ में, भारत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का प्रारूप भी प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य डेटा के स्वामित्व, उपयोग और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करना है, ताकि डेटा का उपयोग संतुलित, सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से किया जा सके।

डिजिटल अवसंरचना की सुदृढ़ नींव और नीतिगत स्तर पर किए गए सुधारों ने सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप न केवल प्रशासनिक निर्णय–प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि नागरिकों का प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास भी अधिक सुदृढ़ हुआ है। इन पहलों का प्रभाव व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है, जहाँ पारंपरिक प्रक्रियाएँ डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से अधिक संवेदनशील, समावेशी और परिणामोन्मुखी बन गई हैं।

इसके साथ ही, प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के नए मानक स्थापित हुए हैं, जो नागरिक–केंद्रित शासन को प्रोत्साहित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, डिजिटल अवसंरचना और डेटा नीति का प्रभावी एवं संतुलित क्रियान्वयन भारत में लोक प्रशासन के एक स्थायी तथा निरंतर विकसित होते आयाम के रूप में उभर रहा है, जो भविष्य में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है।

6. लोक प्रशासन के परिवर्तनात्मक आयाम

लोक प्रशासन के परिवर्तनशील आयामों में समय के साथ कार्यप्रणाली, नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आए महत्वपूर्ण बदलाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। इन परिवर्तनों का प्रमुख आधार डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग है, जिसके कारण प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावशाली बन गई हैं। पारंपरिक शासन व्यवस्था में गोपनीयता और व्यक्तिगत संपर्क पर अत्यधिक निर्भरता के कारण नियंत्रण स्थापित करना चुनौतीपूर्ण था, किंतु डिजिटल माध्यमों के विस्तार से सूचनाओं की उपलब्धता सरल हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप शासन में डिजिटल पारदर्शिता का एक नया स्वरूप विकसित हुआ है। इस परिवर्तन ने न केवल प्रशासनिक जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ किया है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की है, जिससे शासन अधिक सहभागी और उत्तरदायी बन सका है। डिजिटल सेवाओं का केंद्रीयकरण और सहज उपभोगकर्ता अनुभव राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता को सुलभ और त्वरित बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। समय के साथ, डिजिटल ढांचे ने न केवल सेवाओं की दक्षता में सुधार किया है, बल्कि सतत् वितरण और समानता को भी प्रोत्साहित किया है। इस प्रक्रिया में सूचनाओं की सुरक्षा और निजता से जुड़ी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं, जिनके समाधान हेतु नीति–निर्माण में नवीनतम मानकों एवं तकनीकी उपायों का संयोजन आवश्यक हो गया है।

इन परिवर्तनात्मक आयामों का प्रभाव सरकारी संस्थानों की कार्यशैली, सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की जागरूकता पर परिलक्षित होता है। इस तरह, डिजिटल गवर्नेंस ने भारत में लोक प्रशासन की प्रकृति को अधिक उत्तरदायी, प्रतिस्पर्धात्मक और सहभागी बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह परिवर्तन न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयारी सुनिश्चित करता है।

6.1. शासन–स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही

शासन–स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही का विकास डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण था। डिजिटल माध्यमों ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के नए मानकों को स्थापित किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से न सिर्फ प्रशासनिक क्रियाकलापों का प्रभावी नियमन संभव हुआ है, बल्कि

इससे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का भी मुकाबला किया जा रहा है। विशेष रूप से, ई–गवर्नेंस की उपलब्धियों ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का वातावरण सृजित किया है। उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता ने सीधे नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और निर्णय प्रक्रियाओं से जोड़ दिया है। इससे न केवल सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है बल्कि इसकी जवाबदेही भी जबरदस्त रूप से बढ़ी है। अधिक पारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण सरकारी निर्णयों की समीक्षा और आलोचना संभव हुई है, जो शासन में जिम्मेदारी का अहसास भी पैदा करता है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू खुली डेटा नीतियाँ तथा सूचनाओं का सार्वजनिक प्रसार जवाबदेही को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी गतिविधियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली, न केवल प्रशासन को पारदर्शी बनाती है, बल्कि जनता और संबंधित संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व को भी मजबूत करती है। इस प्रकार की पारदर्शिता शासन में स्वच्छता को बढ़ावा देती है और नागरिकों के बीच विश्वास की भावना को सुदृढ़ करती है। इन उपायों के परिणामस्वरूप प्रशासनिक अधिकारियों पर उत्तरदायित्व का निरंतर दबाव बना रहता है, जिससे भ्रष्टाचार तथा अनैतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आती है और शासन प्रणाली अधिक जिम्मेदार एवं प्रभावी बनती है

हालांकि, शासन–स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विभिन्न चुनौतियाँ भी शामिल हैं, जिनमें तकनीकी असमानताएँ, सूचना सुरक्षा हेतु सावधानियाँ और डिजिटल चौकसी आवश्यक हैं। इन चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र, नैतिक मानकों का विकास और निरंतर सुधार आवश्यक है। सार रूप में, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से शासन–स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही का व्यापक एवं स्थायी आधार बन रहा है, जो भारत की लोक प्रशासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

6.2. नागरिक सहभागीत्व और सार्वजनिक पहुँच

राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस के बढ़ते संक्रमण के साथ ही नागरिक सहभागिता और सार्वजनिक पहुँच का महत्व भी निरंतर बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में नागरिक और सरकार के बीच जुड़ाव की परंपरागत परिभाषाएँ नए आयाम प्राप्त कर रही हैं। डिजिटल तकनीकों की सहायता से सरकारें नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सहभागी और समावेशी शासकीय प्रक्रियाओं में भागीदारी का अवसर प्रदान कर रही हैं। यह प्रवृत्ति न केवल सूचना का प्रसार आसान बनाती है, बल्कि जनता की ओर से जवाबदेही और शासन में भागीदारी की उत्सुकता भी प्रगाढ़ होती है। डिजिटल प्लेटफार्मों एवं ई–सेवाओं का व्यापक उपयोग नागरिकों के लिए सेवाओं की उपलब्धता को सरल बनाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, शिकायत निस्तारण प्रणाली और सूचना का तुरंत पहुँच जैसे उपाय जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

राजस्थान राज्य में डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु अनेक प्रभावी पहलें की गई हैं, जिनमें विशेष रूप से E-Mitra और Jan Aadhaar प्लेटफॉर्म उल्लेखनीय हैं। इन डिजिटल माध्यमों के द्वारा सरकार ने विभिन्न सेवाओंकृजैसे बिल भुगतान, प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाएँकृएकीकृत रूप में नागरिकों के लिए सुलभ कर दी हैं।

E-Mitra केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सहज पहुँच प्राप्त हुई है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच की दूरी में कमी आई है। इसके साथ ही, श्रंद ।कींत प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार आधारित पहचान प्रणाली विकसित की गई है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा रहा है।

इन पहलों ने नागरिकों को शासन प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि अब वे डिजिटल माध्यमों के जरिए न केवल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं का पंजीकरण और समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। इससे शासन प्रणाली अधिक उत्तरदायी और नागरिक–केंद्रित बनी है। राजस्थान का यह डिजिटल मॉडल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस प्रकार तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है तथा सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सकता है।

ऐसा करने से न केवल सेवाओं की त्वरितता में सुधार होता है, बल्कि सरकारी संसाधनों का उपभोक्तागत उपयोग भी प्रभावी हो पाता है। इन स्त्रोतों के माध्यम से नागरिक प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ता है और स्थानीय

से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

सामाजिक और आर्थिक विविधता के बाबजूद, डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म पर पहुँच और सक्रिय सहभागिता का माहौल समान रूप से विकसित करना सरकार के लिए आवश्यक हो गया है। विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने हेतु अभियानों का संचालन आवश्यक है। इसके लिए डिजिटली क्षमताशीलता, तकनीकी जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक नागरिक शासन की विकासात्मक योजनाओं का लाभ उठाने में समर्थ बन सके। इन प्रयासों से न केवल प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का अभिवृद्धि होती है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर भी प्राप्त होते हैं। यह सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित समानता के अधिकार से प्रेरित है, जो विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर की व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अधिकार प्राप्त होता है।

अतः यह स्पष्ट है कि नागरिक सहभागिता और सार्वजनिक पहुँच का संवर्द्धन डिजिटल गवर्नेंस की सफलता का मूल आधार है। इससे सुनिश्चित होता है कि शासन की प्रक्रियाएँ अधिक मानव–केंद्रित और जवाबदेह बनें, साथ ही जनता की आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए नए सुधार एवं नीतिगत परिवर्तनों का समावेश किया जा सके। ऐसी स्थिति में, समान रूप से डिजिटली साक्षर और सहभागितापूर्ण समाज का निर्माण संभव हो पाता है, जो समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

6.3. सेवाओं की सुगमता और दक्षता

सेवाओं की सुगमता और दक्षता का अभिप्राय है कि सरकारी सेवाएँ जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच दूरी को कम करते हुए आसानी से उपलब्ध हों। डिजिटल युग में, ये पहलु प्रशासनिक प्रक्रिया का मूल स्तंभ बन चुके हैं। डिजिटल तकनीकों के अभिक्षेत्र में, सेवाओं का डिजिटलीकरण प्रक्रियागत जटिलताओं को दूर करने और सेवाओं के समयाभाव और भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस प्रक्रिया में, स्वचलन, ऑटोमेशन और मोबाइल इंटरफेस जैसी विधियों से सेवा वितरण की क्षमता बढ़ती है, जिससे नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं का अनुभव सहज और प्रभावशाली बनता है।

सुगमता का अर्थ है कि नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं को आसान बनाने में समर्थ हों, वहीं दक्षता का तात्पर्य है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सेवाएँ तुरंत, पारदर्शी और त्रुटि मुक्त तरीके से प्रदान की जाएं। वितरण–समता का लक्ष्य है कि सेवाएँ समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर वंचित और दूरस्थ वर्गों तक समान रूप से पहुँचें। इसके लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से वंचित समूहों के लिए विशेष उपक्रम संचालित किए हैं, जिनमें मोबाइल वैन, लोकल इकाइयाँ और अनौपचारिक चौनल अहम भूमिका निभाते हैं।

इसके साथ ही, डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य केवल उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा की गुणवत्ता और पहुंच का भी ध्यान रखना है। डिजिटल माध्यमों ने अपना विस्तारित प्रभाव दिखाया है कि वे न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाते हैं, बल्कि नागरिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार, सेवाओं की सुगमता, दक्षता और वितरण–समता के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अंततः सार्वजनिक सेवा की करीब पहुँच और समाज की समग्र विकास अवधारणा को सशक्त बनाता है।

7. नीति–निर्माण और प्रशासनिक रणनीतियाँ

नीति–निर्माण और प्रशासनिक रणनीतियाँ की प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहा है। आधुनिक डिजिटल युग में प्रभावी प्रशासन के लिए नीतियों का त्वरित आवृत्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, सरकार को डेटा गवर्नेंस के मानकों का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक है, ताकि नैतिक मानदंडों का सख्ती से पालन किया जा सके। साथ ही, डिजिटल अधुनिकीकरण के क्रम में संस्थागत स्थिरता का ध्यान भी रखना महत्वपूर्ण है, जिससे कार्यप्रणाली में निरंतरता और सौंदर्य बनी रहे। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण और कर्मचारी प्रशिक्षण का तंत्र विकसित करना आवश्यक है ताकि नवीनतम डिजिटल

उपकरणों और तकनीकों का प्रभावी उपयोग संभव हो सके। इस तरह के रणनीतियों से न केवल प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होती है, बल्कि नागरिकों की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अधिक सरल और पारदर्शी बनती है। इन पहलों का उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी संस्थानों की जवाबदेही को मजबूत बनाना है। परिणामस्वरूप, यह रणनीतियाँ लोक प्रशासन को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाती हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। अतः, समीकृत नीति–निर्माण एवं रणनीतिक योजनाएँ, डिजिटल युग में प्रगति का आधार बनती हैं, जिससे सरकार का समक्ष चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है और नागरिक हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होती है।

7.1. डेटा गवर्नेंस और नैतिक मानक

डेटा गवर्नेंस और नैतिक मानक का विषय आधुनिक डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान, किसी भी डिजिटल प्रणाली के कार्यान्वयन में केवल तकनीकी पहलुओं ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक मानकों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। डेटा गवर्नेंस का तात्पर्य व्यक्तिगत, सरकारी एवं औद्योगिक सूचनाओं के संचयन, भंडारण, प्रबंधन और उपयोग के मानक एवं नीतियों से है। इसके सही और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नैतिक मानकों का सर्वाधिक महत्व है, ताकि सूचनाओं का संरक्षण एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

डिजिटल प्रगति के साथ, डेटा का बड़ा आधार बन रहा है, जिससे गलत सूचना, डेटा लीक और निजता का उल्लंघन जैसी जटिल चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने हेतु कड़े नैतिक मानक स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। इनमें डेटा का असामाजिक या अनावश्यक संग्रहण नहीं, बल्कि नैतिक आपत्तियों से मुक्त उपयोग, पारदर्शिता, और जिम्मेदारी शामिल हैं। सरकार एवं नीतिनिर्माताओं को चाहिए कि वे एक स्पष्ट और सुसंगत नैतिक ढांचा विकसित करें जो डेटा संभालने की प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों का पालन कर सके। उच्च स्तर की सूचना सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता की रक्षा, एवं डेटा का निष्पक्ष एवं जिम्मेदार उपयोग इस दिशा में प्रमुख कदम हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की निजता का अधिकार एवं उनकी जानकारी की स्वामित्व भावना का सम्मान भी नैतिक मानकों का अभिन्न हिस्सा है। डिजिटल संसाधनों का विकास करते हुए, नागरिकों में जागरूकता निर्माण एवं नैतिक प्रयोगशाला के सिद्धांतों का समावेश आवश्यक है। इससे न केवल विश्वास का वातावरण बनता है, बल्कि किसी भी प्रकार के शोषण एवं दुरुपयोग की संभावना भी कम होती है। इस संदर्भ में, सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी का समन्वय बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि डिजिटल व्यवस्था का समुचित एवं नैतिक आधार पर विस्तार किया जा सके।

7.2. डिजिटल अधुनिकीकरण बनाम संस्थागत स्थायित्व

डिजिटल अधुनिकीकरण और संस्थागत स्थायित्व का संबंध अक्सर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकता है, किंतु दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यावश्यक है। डिजिटल तकनीकों का तेजी से प्रयोग वर्तमान समय में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में निश्चित रूप से परिवर्तन ला रहा है, जिससे सेवाओं की गति और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, इसमें एक चुनौती यह भी है कि अत्यधिक डिजिटलाइजेशन नवाचारों को स्थापित करते समय पारंपरिक संस्थागत प्रक्रियाओं के प्रति स्थिरता और विश्वसनीयता का ह्रास न हो। इतने व्यापक परिवर्तन के बावजूद, संस्थागत ढांचों का मौजूदा सिद्धांत एवं प्रणालीभूत आधारभूत संरचना को स्थायित्व प्रदान करना जरूरी है ताकि बदलाव का प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी बना रहे।

डिजिटल अधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नई तकनीकों का निरंतर अवतरण और नवाचार अपेक्षित है, परन्तु यह भी आवश्यक है कि इन बदलावों से स्थायी व्यवस्था प्रभावित न हो। स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए नए डिजिटल प्रयासों को संस्थागत सांस्कृतिक, नैतिक मानकों और कानूनी ढांचों के साथ मेल खाना चाहिए। इससे संगठनों में प्रक्रियागत सुधार, कार्यकुशलता एवं भरोसे का निर्माण होता है। यदि इन दोनों पहलुओं के मध्य संतुलन नहीं स्थापित किया गया, तो नवाचार स्थायी एवं प्रभावी नहीं रह सकता। अतः, यह आवश्यक है कि डिजिटल साधनों का समुचित प्रयोग करते हुए, संस्थागत संरचनाओं एवं उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं का मर्म एवं स्थिरता बनाए रखा जाए।

डिजिटल परिवर्तन में निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन भी आवश्यक है, ताकि संस्कृति और संस्थागत मूल्यों के साथ समझौता न हो। संगठनात्मक महत्वाकांक्षा एवं नवाचार की प्रक्रिया यदि अत्यधिक गतिशील हो, तो स्थिरता

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः, स्थायित्व को सुनिश्चित करते हुए डिजिटल अधुनिकीकरण की प्रक्रिया में दीर्घकालिक रणनीतियों एवं संशोधनों का समावेश आवश्यक है। इस प्रकार, डिजिटल गवर्नेंस के परिवर्तनात्मक प्रवाह को दिशा देने के लिए संस्थागत स्थायित्व का संरक्षण आवश्यक है, ताकि नवाचार एवं परंपरा दोनों का समावेश होकर समुचित जलवायु में विकास किया जा सके।

7.3. क्षमता निर्माण और कर्मचारी प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण और कर्मचारी प्रशिक्षण का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस के प्रभावी कार्यान्वयन एवं सतत विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें संबंधित कर्मचारियों को नई तकनीकों और प्रणालियों के प्रति जागरूक बनाने, आवश्यक कौशल विकसित करने और उनमें नेतृत्व क्षमता का संपोषण करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि वे नवीनतम डिजिटल टूल्स, प्लेटफ़ॉर्म और डेटा प्रबंधन प्रणालियों के साथ अद्यतन रहें। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण प्रक्रिया में बदलती तकनीक के साथ तालमेल बनाने हेतु निरंतर अद्यतन और विशेषज्ञता आधारित शिक्षण का समावेश आवश्यक है।

डिजिटल साक्षरता का विस्तार कर कर्मठता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यशालाओं और ऑनलाइन कोर्स की स्थापना की है। ये प्रशिक्षण न केवल तकनीकी कौशल विकसित करने बल्कि नीति, नैतिकता एवं डेटा सुरक्षा मानकों से भी परिचित कराते हैं। इसके साथ ही, कर्मचारी में डिजिटल युग में आवश्यक नेतृत्व, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी किया जाता है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य न केवल तकनीकी दक्षता वृद्धि है, बल्कि समर्पित, जागरूक और उत्तरदायी लोक सेवकों का निर्माण भी है जो डिजिटल युग के अनुरूप जनसेवाओं का सुगमता से वितरण कर सकें।

अंततः, क्षमता निर्माण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रभावशीलता व्यापक संगठनात्मक परिवर्तन और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल गवर्नेंस के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता के उच्च मानकों पर स्थापित हो सकें। निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास की प्रक्रिया से सरकारी कर्मचारी अधिक आत्मविश्वासी, दक्ष और जिम्मेदार बनते हैं, जिससे वे अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर पाते हैं।

8. निष्कर्ष

डिजिटल गवर्नेंस का विकास भारत में प्रशासनिक बदलावों का महत्वपूर्ण प्रवर्तक रहा है। इस प्रक्रिया ने न केवल सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ किया है, बल्कि नागरिक सहभागिता एवं समावेशी विकास के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से परिवर्तित प्रशासनिक ढांचे ने सूचनाओं की पहुंच और अभिगम्यता को सरल बनाया है, जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। साथ ही, इस परिवर्तन ने निर्णय प्रक्रियाओं को अधिक गतिशील और जवाबदेह बनाने हेतु नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराए हैं।

हालांकि, इस प्रक्रिया में सूचना सुरक्षा, निजता संरक्षण और नैतिक मानकों से संबद्ध गंभीर चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आई हैं। डेटा गवर्नेंस एवं नैतिक मानकों का सम्मान करते हुए, डिजिटल अधुनिकीकरण के साथ संस्थागत स्थायित्व और क्षमता निर्माण पर बल देना आवश्यक हो गया है। आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता और उपयुक्त नीति–निर्माण इन प्रयासों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के साथ–साथ स्थानीय निकायों की डिजिटल पहलें भी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रयासों से स्पष्ट है कि डिजिटल गवर्नेंस ने लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली को बदलने का साहसिक और परिवर्तनकारी प्रयास किया है। यह न केवल सेवाओं की सुगमता और दक्षता में सुधार करता है, बल्कि शासन के प्रति जनता के विश्वास, समावेशी सहभागिता और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ बनाता है। अतः सावधानीपूर्वक नीति–निर्माण और संतुलित रणनीति के माध्यम से इन सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आधुनिक डिजिटल युग में प्रशासन के सतत सुधार एवं स्थिरता के मद्देनजर, इन परिवर्तनों का समुचित अवलंब करना अत्यंत आवश्यक है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and

conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ–

1. Chakrabarty, S B. & Chand, P. 2016, Public Administration in a Globalizing World: Theories and Practices, SAGE Publications India.
2. Barthwal, C. P. 2014, Good Governance: Concept, Theory and Practice, Kalpaz Publications.
3. Sapru, R. K. 2014, Administrative Theories and Management Thought, PHI Learning.
4. तोमर, स., – चंद्रांत, म. (2025). डिजिटल मीडिया और भारतीय राजनीति, जनमत–निर्माण की समकालीन प्रवृत्तियाँ और लोकतांत्रिक विमर्श पर प्रभाव. Anusandhanvallari, (2025, January).
5. गौतम, ब. वि. (2025). डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव. Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities, 3(1).
6. शर्मा, रा. (2015). डिजिटल मीडिया और हिंदी भाषा, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण. भाषा एवं समाज, 7(2), 45दृ60.
7. Bhattacharya] J. 2011, E-Service Delivery: A Case Study of India- International Journal of Public Administration in the Digital Age, 1(1) 1-18.
8. Satyanarayana, J. 2012 Managing Transformation: Experiences in E&Government, IUP Journal of Governance and Public Policy, 7), 7-25.
9. डॉवेस, एस. एस. (2008). ई–गवर्नेंस का विकास और निरंतर चुनौतियाँ. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, 68(1),86–102।
10. लोहार, म. कु. (2023). ई–गवर्नेंस में डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की भूमिका. International Journal of Political Science and Governance] 5)1, 182–187.
11. शुक्ला, सु. कु. (2020). डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सामान्य व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में). International Journal of Reviews and Research in Social Sciences, 8(1).

Cite this Article

'पंकज कुमार', "डिजिटल गवर्नेंस और भारत में लोक प्रशासन की बदलती प्रकृतिः एक विश्ले□णात्मक अध्ययन', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:10, October 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i1000019

Published Date- 05 October 2025